95

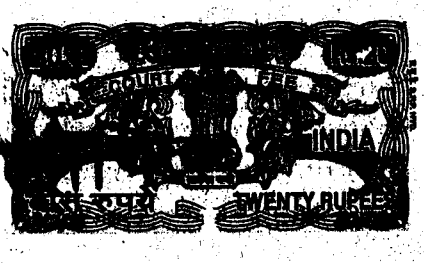

771
15.12.16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. रिव्यु -4225- II-16 /2016

रूनिया लोधी पत्नी श्री अतर सिंह लोधी निवासी– ग्राम टफटकी तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--आवेदिका

श्री विनोद भार्गव अभि.
द्वारा आज दि. 15-12-16 को
प्रस्तुत

15-12-16

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) --अनावेदक

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
15-12-16

<u>माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल सदस्य श्री एस.एस. अली द्वारा प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 466–पी.बी.आर./2004 में पारित आदेश दिनांक 18/11/2016 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, टफटकी में स्थित भूमि सर्वे क्र. 417 रकबा 1.67 हे. पर आवेदिका का दिनांक 02/10/84 से अनेक वर्षो पूर्व अर्थात 20–25 वर्षो पूर्व से निरंतर कास्त करतें हुये कब्जा चला आ रहा था। दिनांक 13/12/91 के आदेश द्वारा नायब तहसीलदार करैरा द्वारा म.प्र. कृषि प्रयजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिमियम, 1984 के अधीन भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने का आदेश पारित किया था।

M

2. यहकि, इस आदेश के विरूद्ध एक अन्य व्यक्ति गोमा विधवा छोटेलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4225–दो/16 जिला –~~ग्वालियर~~ Vijaypur

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.4.17	आवेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिववक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 466–अध्यक्ष/04 आदेश दिनांक 18.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 4225–दो/2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 466–अध्यक्ष/2004 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 18.11.2016 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 4225–दो/2016 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये	

गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:—

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य